

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी:- श्री पर्वत सिंह चुण्डावत आर.ए.एस  
प्रकरण संख्या:- 29/2023

तारीख दायर-22.09.2023  
तारीख- निर्णय-05.07.2024

1. श्री नंगा राम पिता दल्ला डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती रतनी पत्नी दल्ला डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती राधा पुत्री दल्ला डांगी पत्नी लालुराम डांगी निवासी वाजनी रोडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर(राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. श्री उदा पिता धुला डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती देउ पुत्री धुला पत्नी सवा डांगी निवासी कोटा रोडी तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती लाली पुत्री धुला पत्नी नाथु डांगी निवासी वानिया तलाई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री पुष्कर लाल मीणा  
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा नाल का गुडा पटवार क्षेत्र धावडी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र धौलिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 26 व पुराना 26 के आराजी नम्बर 10 रकबा 0.4320 हैक्टेयर ,आराजी न. 11 रकबा 0.1188 है0 ,आराजी न.12 रकबा 0.5940 है0, आराजी न.04 रकबा 0.0540 है0, आराजी न0 05 रकबा 0.1728 है0,आराजी न0 06 रकबा 0.0432 हैक्टेयर कुल कित्ता 06 कुल रकबा भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीया द्वारा प्रतिवादीगणों को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तवा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादीया को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त


उपखण्ड अधिकारी  
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया वस प्रतिवादीगण वाक्जुद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहै है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है। हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। जिसमे प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा नाल का गुडा पटवार क्षेत्र धावडी तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 26 व पुराना 26 के आराजी नम्बर 10 रकबा 0.4320 हैक्टेयर ,आराजी न. 11 रकबा 0.1188 है0 ,आराजी न.12 रकबा 0.5940 है0, आराजी न.04 रकबा 0.0540 है0, आराजी न0 05 रकबा 0.1728 है0,आराजी न0 06 रकबा 0.0432 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
लसाडिया सलुम्बर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी:- श्री पर्वत सिंह चुण्डावत आर.ए.एस  
प्रकरण संख्या 29/2023

तारीख दायर-22.09.2023

तारीख- निर्णय-05.07.2024

1. श्री नंगा राम पिता दल्ला डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती रतनी पत्नी दल्ला डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती राधा पुत्री दल्ला डांगी पत्नी लालुराम डांगी निवासी वाजनी रोडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर(राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. श्री उदा पिता धुला डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती देउ पुत्री धुला पत्नी सवा डांगी निवासी कोटा रोडी तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती लाली पुत्री धुला पत्नी नाथु डांगी निवासी वानिया तलाई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री पुष्कर लाल मीणा  
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 05.07.2024 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है एवं मौजा नाल का गुडा पटवार क्षेत्र धावडी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र धोलिया के खाता संख्या नया 26 व पुराना 26 के आराजी नम्बर 10 रकबा 0.4320 हैक्टेयर ,आराजी न. 11 रकबा 0.1188 है0 ,आराजी न.12 रकबा 0.5940 है0, आराजी न.04 रकबा 0.0540 है0, आराजी न0 05 रकबा 0.1728 है0,आराजी न0 06 रकबा 0.0432 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा भूमि का पक्षकारान के अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राज.)  
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)